न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1418–दो/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–6–2009 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/ए/2006–07

1. नरसंग उर्फ नरसिंह पिता फतेहसिंह सौंधिया
2. कनीराम पिता किशनलाल सौंधिया
3. देवीसिंह पिता किशनलाल सौंधिया
4. भोनीसिंह उर्फ भवानीसिंह पिता किशनलाल सौंधिया
5. हीरालाल पिता ओंकारलाल सौंधिया
6. पर्वतसिंह पिता रोडजी सौंधिया
7. रमेश पिता हरजी सौंधिया
8. वीरम पिता रामसिंह सौंधिया
9. प्रताप सिंह रामपिता सौंधिया
10. बजेसिंह पिता रामसिंह सौंधिया
11. किशन पिता बाबरू बलाई
    सभी निवासी ग्राम खुरचन्याकलां,
    तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़

----- आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय
   खिलचीपुर, जिला राजगढ़
2. मंदिर श्री ठाकुरजी द्वारा मोहनलाल
   पिता लक्ष्मीनारायण पुजारी
   निवासी खिलचीपुर, जिला राजगढ़

----- अनावेदकगण

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक –आवेदकगण

:: आदेश ::

(दिनांक 27 जनवरी 2016 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–6–2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य यह है कि अनावेदक क0 –2 ने अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर की भूमि पर राजेन्द्र सिंह व अन्य ने जबरन कब्जा कर रखा है, उन्हें हटाया जाये। अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर द्वारा अनावेदक क0–2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार खिलचीपुर को निर्देशित करते हुए उल्लेखित किया कि तहसीलदार खिलचीपुर मंदिर की भूमि से अतिकमण प्राथमिकता से हटाया जावे तथा इस कार्यालय को अवगत कराया जावे।'' अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर द्वारा निर्देश प्राप्त करने के उपरांत अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदकगणों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गयी तथा आदेश दिनांक 29–07–2006 द्वारा बेदखली के आदेश दिये। आवेदकगण ने उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर जिला राजगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 11.09.06 के द्वारा निरस्त की गई। कलेक्टर, के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनांक 16.06.2009 को अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदकगणों की ओर से विद्वान अभिभाषक के तर्क इस प्रकार है कि:–

1– यह कि क्या गलत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने पर उसे खारिज किया जा सकता है या सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जा सकता है। यह कि विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि यदि पक्षकार के द्वारा त्रुटिवश कोई प्रकरण गलत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया हो तो न्यायालय का यह न्यायिक कर्तव्य है कि वापस किया जावे। तकनीकी त्रुटि के कारण पक्षकारों को न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाना चाहिये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक भूल की है। इस आधार पर दोनों ही अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य हैं।

2– यह कि आवेदकगण ने मंदिर श्री ठाकुर जी की भूमि पर कब्जा किया था। उक्त विवादित भूमि पर आवेदकगण के पूर्वजों का पिछले 100 वर्षो से कब्जा है, एवं कृषि कार्य कर रहे तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज है। आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर कभी भी अतिकमण नहीं किया गया। इसके बाद भी विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध अधिनियम की धारा– 248 के अतंर्गत कार्यवाही करने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

3– यह कि आवेदकगण ने विचारण तहसील न्यायालय के समक्ष कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर दस्तावेज साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत दस्तावेजों को मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित भी किया था, परन्तु इसके बाद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली के आदेश देने में गंभीर वैधानिक भूल की है।

4– यह कि अधीनस्थ माननीय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश न्यायायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके द्वारा जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश से सहमत होते हुये आदेश पारित किया गया है जबकि वरिष्ठ अपीलीय न्यायालय होने के आधार पर उनका न्यायिक कर्तव्य था कि वह विधि के प्रावधनों एवं वरिष्ठ न्ययालयों द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुये न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश पारित करते।

5– आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में विवाद प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें स्थगन आदेश भी दिया है। इस ओर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया है वह निरस्ती योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक को सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण का मूल प्रकरण गुम होने

के कारण दास्त फाईल पर सुनवाई की गई है। अनावेदक अनुपस्थित है। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–9–2006 में यह स्पष्ट लिखा है कि अनुविभागीय अधिकारी ने मोहनलाल पुजारी के आवेदन दिनांक 10–4–06 पर तहसीलदार खिलचीपुर को निर्देशित किया कि मंदिर की भूमि पर राजेन्द्रसिंह एवं अन्य ने जबरन कब्जा कर रखा है, प्राथमिकता से हटाया जाए। इस पर कलेक्टर ने यह माना कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनको प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 10–4–06 को टीप/निर्देश एक प्रशासनिक प्रकिया के तहत दिये गये थे जिसके पालन में तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 400/अ–68/2005–06 दर्ज कर विधिवत आवेदकगण को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश दिनांक 29–7–06 के द्वारा संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत अतिकमण हटाने के आदेश दिये थे। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु आवेदकगण ने कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में त्रुटि की। कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11–9–2006 के द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं की। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 16–6–2009 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रशासकीय आदेश माना एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को सक्षम न्यायालय में ही अपील प्रस्तुत किया जाने संबंधी कलेक्टर का आदेश उचित मानते हुये अपील निरस्त की गई है। इस प्रकार कलेक्टर तथा अपर आयुक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित है उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां तक व्यवहार न्यायालय में प्रचलित वाद के सम्बन्ध में आवेदक अभिभाषक के तर्क का प्रश्न है यदि विवादास्पद भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में

कोई निर्णय होता है तो उसके सम्बन्ध में आवेदक तद्नसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर